

परिशिष्ट सारणी 5: पूंजीगत प्राप्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (बजट अनुमान)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)	घट-बढ़					
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4		स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>कुल पूंजी प्राप्तियां (1 से 10)</b>	<b>1,96,634</b>	<b>2,25,014</b>	<b>2,37,355</b>	<b>2,42,860</b>	<b>40,721</b>	<b>20.7</b>	<b>12,341</b>	<b>5.5</b>	<b>5,505</b>	<b>2.3</b>
1. आंतरिक ऋण *	1,42,951	1,66,820	1,86,621	1,93,072	43,670	30.5	19,801	11.9	6,450	3.5
जिसमें से:										
(i) बाजार ऋण (सकल)	1,18,492	1,29,670	1,40,171	148,356	21,678	18.3	10,501	8.1	8,186	5.8
(ii) एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां @	8,520	18,957	28,968	25,911	20,448	240.0	10,012	52.8	-3,057	-10.6
2. केंद्र से ऋण @	7,005	17,209	12,783	15,445	5,779	82.5	-4,426	-25.7	2,662	20.8
3. ऋण और अग्रिम की वसूली	11,072	4,609	7,963	4,210	-3,108	-28.1	3,354	72.8	-3,753	-47.1
4. अल्प बचत, भविष्य निधि, इत्यादि (निवल)	15,641	21,617	24,289	22,426	8,648	55.3	2,672	12.4	-1,863	-7.7
5. आकस्मिकता निधि (निवल)	781	200	702	185	-79	-10.1	502	250.9	-517	-73.6
6. आरक्षित निधियां (निवल)**	7542	2,554	-7,208	3,739	-14,750	-195.6	-9,762	-382.3	10,947	-151.9
7. जमा और अग्रिम (निवल)***	4,594	9,354	6,236	3,566	1,642	35.7	-3,118	-33.3	-2,670	-42.8
8. आकस्मिक निधि में विनियोजन (निवल)	-495	-	-200	-	295	-59.6	-200	-	200	-100.0
9. विप्रेषण (निवल)	-1,522	3	325	8,865	1,847	-121.4	323	-	8,540	-
10. अन्य #	9,066	2,649	5,843	-8,649	-3,223	-35.5	3,194	120.6	-14,492	-248.0

‘-’ : नगण्य / शून्य / निम्न आधार की वजह से असामान्य वृद्धि।

\* : इसमें बाजार ऋण, एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां, भूमि मुआवजा बांड, नकदी ऋण तथा भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से प्राप्त ऋण (निवल)ध, और नाबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग आदि से प्राप्त ऋण शामिल हैं, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट शामिल नहीं हैं।

@ : 1999-2000 से प्रभावी लेखांकन की व्यवस्था में परिवर्तन के साथ, अल्प बचतों में राज्यों की हिस्सेदारी, जिसे पहले केंद्र से ऋण के तहत शामिल किया गया था, को आंतरिक ऋण के तहत शामिल किया गया है और केंद्र सरकार के एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दिखाया गया है।

\*\* : आरक्षित निधि (निवल) में ब्याजवाही आरक्षित निधियां (सरकार के वाणिज्यिक उपक्रमों की मूल्यहास आरक्षित निधियों की तरह) तथा गैर ब्याजवाही आरक्षित निधियां (जैसे ऋणशोधन निधि, अकाल राहत कोष तथा सड़क और पुल निधि) शामिल हैं।

\*\*\* : जमा और अग्रिम (निवल) में ब्याजवाही जमा (जैसे स्थानीय निधियों की जमा राशियां) तथा गैर ब्याजवाही जमा (जैसे रक्षा और डाक जमा और नागरिक अग्रिम) शामिल हैं।

# : इसमें उंचत और विविध (निवल) और अन्तरराज्यीय निपटान (निवल) और विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

नोट : 1. जम्मू और कश्मीर और झारखंड के संबंध में वर्ष 2008-09(लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर लोक लेखा शामिल हैं। इसके अलावा परिशिष्टों की टिप्पणियां देखें।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।